

अवकाश नियम

रान्दर्भ :—वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग 2 रो 4 अध्याय 10 मूल नियम 58 से 104 तथा सहायक नियम 35 से 172 तथा समय पर जारी शासनादेश

1	अवकाश का प्रकार	अधिकतम देय एवं सक्षम प्राधिकारी	नियम	अभ्युक्ति
2	आकर्षिक अवकाश प्रतिकर अवकाश	14	मेनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर के अध्याय 142 राहायक नियम 201	आकर्षिक अवकाश एक समय पर 10 से अधिक देय नहीं है तथा प्रतिकर अवकाश एक माह में 2 दिन।
	अंजित अवकाश	कलेन्डर वर्ष में 31 दिन तथा पूरी सेवा में 300	मूल नियम 81-ख (1) सहायक नियम 157-क(1)	भारत में एक समय पर 120 दिन तथा भारत से बाहर एक समय पर 180 दिन से अधिक नहीं। मूल नियम 81-ख(दस) सहायक नियम 157(क)(1)(र्यारह)
3	निजी कार्य पर अवकाश	365 दिन(स्थाई सेवा पर) 120दिन(अस्थाई सेवा पर)	मूल नियम 81-(ख)(3) राहायक नियम 157-क(3)	एक समय पर भारत में अधिकतम 90 दिन भारत से बाहर 180 दिन एक बार में 60 दिन से अधिक नहीं
	तीनों भूमि अवकाश	365 दिन	मूल नियम 81(ख)(2) मूल नियम 89,90 तथा 91 को भी देखें	90 दिन तक चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर तथा इससे अधिक अवधि के लिये चिकित्सा परिशद की संस्तुति के आधार पर देय।
5	मातृत्व अवकाश	135 दिन(पूरी सेवा काल में दो बार)	मूल नियम 101, सहायक नियम 153 व 154 देखें	दो बच्चों तक सीमित रहने पर। एक बच्चे के विकलांग /असाध्य रोग से पीड़ित होने पर अपवाद स्वरूप पूरी सेवा में तीन बार देय है।
6	असाधारण अवकाश	अधिकतम 5 वर्ष (स्थाई सेवा पर) अधिकतम 3 वर्ष(24 माह की) नियम 157(क) राहा हो एवं अस्थाई सेवा पर)	मूल नियम 85, 86 तथा सहायक नियम 157(क) (4)	यह अवकाश लेख से नहीं घटाया जाता है। असाधारण अवकाश की अवधि के लिये अवकाश वेतन देय नहीं है।
7	हॉरिपटल अवकाश	3 वर्ष की अवधि में में अधिकतम 6 माह	सहायक नियम 155 तथा सहायक नियम 156 भी देखें	तीन माह की अवधि में पूर्ण अवकाश वेतन तथा शोष अवधि के लिये अर्द्ध वेतन देय है।
8	अध्ययन अवकाश	एक बार में 12 माह पूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष	मूल नियम 64 एवं सहायक नियम 146(क)	अध्ययन अवकाश काल में अर्द्ध वेतन देय है।
9	विशेष विकलांगता अवकाश	24 माह से अधिक देय नहीं	मूल नियम 83 व 83(क)	चार महीने पूर्ण ओसत वेतन तथा शोष अवधि में

- अवकाश सधारणतया कार्यभार छोड़ने से प्रारम्भ होता है तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के पूर्व दिवस को समाप्त होता है। अवकाश के प्रारम्भ होने के ठीक पहले व अवकाश समाप्ति के तुरंत पश्चात पड़ने वाले रविवार व अन्य मान्यता प्राप्त अवकाशों को अवकाश के साथ उपभोग करने की स्वीकृति अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है। अवकाश का आरम्भ सामान्यतः उस दिन से माना जाता है जिस दिन सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अपने कक्ष/ कार्यालय का प्रभार हस्तान्तरित किया जाता है। इसी प्रकार अवकाश से लौटने पर प्रभार ग्रहण करने के पूर्व के दिवस को अवकाश समाप्त माना जाता है।

वित्तीय हरत पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 68

- बिना प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये कोई सरकारी सेवक अवकाश काल में कोई लाभप्रद व्यवसाय या नौकरी नहीं कर सकता है। नियमतः अवकाश काल में कोई भी राजकीय कर्मचारी अन्यत्र कोई सेवा धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं कर सकता जब तक कि इस सम्बन्ध में उसके द्वारा सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

वित्तीय हरत पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 69

जन रोका के हित में अवकाशाधीन रोकक को वापरा बुलाने का अधिकारः—

- जन रोका के हित में अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाशाधीन सरकारी सेवक को अवकाश का पूर्ण उपभोग किये बिना डयूटी पर वापरा बुलाने का अधिकार है।

वित्तीय हरत पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 70
अवकाश से वापरा बुलाये जाने पर यात्रा भरता नियम शर्तों के पूरा होने पर ही देय होगा :—

- यदि वह 60 दिन से अधिक के अवकाश पर गया हो तो कम से कम उसकी आधी अवधि का अवकाश निरस्त किया गया हो।
- यदि वह 60 दिन तक या उससे कम की अवधि के लिये अवकाश पर गया हो तो यह कम से कम 30 दिन का अवकाश निरस्त कराया गया हो।

(नियम 51, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3)

- चिकित्सा अवकाश का उपभोग करने के उपरान्त किसी भी कर्मचारी को सेवा में योगदान करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

इसी प्रकार यदि रक्षण अधिकारी वाहे तो अर्थस्थता पर लिये गये किसी अन्य श्रेणी के अवकाश के गामिल में भी उपरोक्त स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र मांग सकता है।

वित्तीय हरत पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 71

- अवकाश स्वीकर्ता अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के द्विना किसी भी कर्मचारी को स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के 14 दिन से अधिक समय पूर्व सेवा में वापरा आने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

वित्तीय हरत पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 72

- यदि कोई राजकीय कर्मचारी अवकाश अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी अनुपरिधित रहता है तो उसे ऐसी अनुपरिधिति की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं होगा एवं उक्त अवधि अद्वैत औसत वेतन पर अवकाश के रूप में रेखांकित की जायेगी जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश अवधि बढ़ा न दी गयी हो। यदि बाद में वह अनुपरिधिति की अवधि का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो इस अवधि को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर देय अवकाश से घटा दिया जायेगा किन्तु कोई अवकाश वेतन शुगतान नहीं किया जायेगा।

वित्तीय हरत पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 73

- अवकाशोपरान्त जान बूझाकर रोका रो अनुपरिधित दुर्बंहार की श्रेणी में आती है एवं दण्डनीय अपराध है।

वित्तीय हरत पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 15

- किसी एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ अथवा क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है।

वित्तीय हरत पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 81-ख(6), 83 (4), राहायक

नियम-157-क(5) तथा 154

आकर्षिक अवकाश, विशेष अवकाश, प्रतिकर अवकाश

गैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर के अध्याय 142 में आकर्षिक अवकाश, विशेष अवकाश और प्रतिकर अवकाश से सम्बन्धित नियम दिये गये हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

प्रस्तार 1081 :— आकर्षिक अवकाश के दौरान कार्य का उत्तरदायित्व

आकर्षिक अवकाश की अवधि में सरकारी सेवक सभी प्रयोजनों के लिए छुट्टी पर माना जाता है।
प्रस्तार 1082 :— आकर्षिक अवकाश की सीमा

- ८ एक कैलेण्डर वर्ष में सामान्यता 14 दिन का आकर्षिक अवकाश दिया जा सकता है।
- ८ एक समय में 10 दिन से अधिक का आकर्षिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।
- ८ आकर्षिक अवकाश के साथ रविवार एवं अन्य छुट्टियों को सम्बद्ध किये जाने की स्वीकृति दी जा सकती है।
- ८ रविवार, छुट्टियों एवं अन्य सरकारी दिनों एवं आकर्षिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें जोड़ा नहीं जायेगा।
- ८ अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी 14 दिनों से अधिक का आकर्षिक अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष में स्वीकृत कर सकता है।
- ८ **विशेष आकर्षिक अवकाश**
- ८ विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन की विशेष छुट्टी दी जा सकती है।
- ८ लिपिक वर्गीय स्टाफ के अंतिरिक्त अन्य को दी गयी विशेष छुट्टियों की सूचना सकारण प्रशासनीय विभाग को भेजनी होगी।
- ८ शा०सं ८०८०/दो—वी—ज ५५, दिनांक २७—१२—१९५५ तथा एम०जी०३०० का पैसा ८८२ व १०८७ राष्ट्रीय नाम्या अन्तराष्ट्रीय खेलकूद में गांग लोन के लिए वयनित खिलाड़ियों को ३० दिन का विशेष आकर्षिक अवकाश दिया जा सकता है।
- ८ गान्यता प्राप्त सेवा राधां/परिराधां के अध्यक्ष एवं सचिव को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम ०७ दिन का तथा कार्यकारिणी के रादरयों को अधिकतम ०४ दिन का विशेष आकर्षिक अवकाश देय होगा। कार्यकारिणी के उर्वर्णी सदस्यों को यह सुविधा अनुमन्य होगी जो बैठक के स्थान से बाहर से आये।

(शासनादेश संख्या : १६९४ / का-१/८३, दिनांक ५—७—८३ तथा १८४७ / का—४—ई—एक—८१—८३, दिनांक ४—१०—८३)

प्रस्तार 1083 :— आकर्षिक अवकाश पर गुम्खालय छोड़ने की पूर्व अनुमति

- ८ आकर्षिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
- ८ अवकाश अवधि में पता भी सूचित किया जाना चाहिए।

प्रस्तार 1084 :— समुचित कारण

- ८ आकर्षिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर ही स्वीकृत किया जाना चाहिए।
- ८ सरकारी दौरे पर रहने की दशा में आकर्षिक अवकाश लेने पर उस दिन का दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं है।

प्रस्तार 1085 :— राधाम अधिकारी

आकर्षिक अवकाश केवल उर्वर्णी अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासनादेशों के द्वारा समय—समय पर अधिकृत किया गया है।

प्रस्तार 1086 :— आकर्षिक अवकाश रजिस्टर

आकर्षिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकर्षिक अवकाश तथा निर्बन्धित अवकाश का लेखा निम्न पारूप पर अनिवार्य रूप से रखा जायेगा। इस रजिस्टर का परीक्षण निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा समय—समय पर किया जायेगा।

कर्मचारी का नाम पद नाम	स्वीकृत किया गया आकर्षिक अवकाश	निर्बन्धित अवकाश
14	13	12
11.....	2	1
	2	1

अर्जित अवकाश
(वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के अध्याय-10)

आर्हता:-

• अर्जित अवकाश स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों को देय है।

नियम :-वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 81-ख (1)सहायक नियम 157-क (1)

अवकाश अवधि व अर्जित अवकाश की गणना की प्रक्रिया :-

प्रत्येक कलैन्डर वर्ष के लिए 31 दिन का अर्जित अवकाश देय होता है। पहली जनवरी को 16 दिन तथा पहली अक्टूबर को 15 दिन जमा किया जायगा।

- अवकाश का हिसाब लगाते समय दिन के किसी अंश का निकटतम दिन पर पूर्णांकित किया जाता है, ताकि अवकाश का हिसाब पूरे दिन के आधार पर रहे।
- किसी एक समय जमा अवकाश का अवशेष 300 दिन निर्धारित है।
- प्रत्येक पूर्ण कलैन्डर मास के लिए $2\frac{1}{2}$ दिन प्रतिमास की दर से पूरे माह के आधार पर अवकाश देय होता है।
- जब किसी छःमाही में असाधारण अवकाश का उपयोग किया जाता है तो संबंधित सरकारी सेवके के अवकाश लेखे में अगले छःमाही के लिए जमा किये जाने वाला अवकाश असाधारण अवकाश की अवधि के $1/10$ की दर स 15 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए (पूरे दिन के आधार पर) अर्जित अवकाश कम कर दिया जाता है।
- अर्जित अवकाश स्वीकृति आदेश में अतिशेष अवकाश इंगित किया जायेगा।

अवकाश लेखा :-

• अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में सरकारी सेवकों के सेवा पुस्तिका में अवकाश लेखे प्रपत्र-11 घ में रखे जाते हैं।
मूल नियम 81-ख (1) (8)

एक समय पर अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा :-

- | | |
|---|---------|
| • यदि सम्पूर्ण अवकाश भारतवर्ष में व्यतीत किया जा रहा हो | 120 दिन |
| • यदि सम्पूर्ण अवकाश भारतवर्ष के बाहर व्यतीत किया जा रहा हो | 180 दिन |
- गूल नियम 81 ख

अवकाश वेतन

• अवकाश काल गे सरकारी सेवक वो अवकाश पर प्रथान के ठीक पहले प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर अवकाश वेतन ग्रहाय होता है

गूल नियम 87 क(1) तथा सहायक नियम 157 क (6)

अवकाश वेतन अग्रिम रूप से देय :-

शारनादेश संख्या ए-1-1668 / दस-3-1(4)-65 दिनांक 13 अक्टूबर, 1978 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का उनके अवकाश पर ज्ञान के समय अवकाश वेतन अग्रिम धनराशि भुगतान करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जा सकती है।

- यह अग्रिम धनराशि कग से कग 30 दिन या एक गास से अधिक की अवधि के केवल अर्जित अवकाश या निजी कार्य पर अवकाश के मामले में देय होगी।

निजी कार्य पर अवकाश
(वित्तीय हस्त पुरितका खण्ड दो भाग 2 से 4 के अध्याय-10)

अहता :-

रथाई व अस्थाई दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों को देय है। निजी कार्य पर अवकाश अर्जित अवकाश की ही भांति तथा उसके लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक कलेप्डर वर्ष के लिये 31 दिन 2 छःमाही किश्तों में जमा किया जाता है। नियुक्ति की प्रथम छमाही तथा सेवा से पृथक होने वाली छःमाही के लिये, जमा होने योग्य अवकाश का आगणन तथा असाधारण अवकाश के उपयोग करने पर अवकाश की कटौती विषयक प्रक्रिया भी वही है, जो अर्जित अवकाश के विषय में है।

नियम :- वित्तीय हस्त पुरितका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 81-ख(3)

अधिकतम अवकाश अवधि तथा देय अवकाश :-

रथाई सरकारी सेवक :

- यह अवकाश 365 दिन तक की अधिकतम सीमा के अधीन जमा किया जाता है।
- सम्पूर्ण सेवागत में मूल मिलाएर 365 दिन तक का ही अवकाश स्पीकृत किया जा सकता है।
- किसी एक रामिय में रामिकृत की जा सकने योग्य अधिकतम सीमा निम्नानुसार हैं :—

पूरा अवकाश भारतवर्ष में व्यतीत किये जाने पर	90 दिन
पूरा अवकाश भारतवर्ष से बाहर व्यतीत किये जाने पर	180 दिन

वित्तीय हस्त पुरितका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 81 – ख (3)

अस्थाई सरकारी सेवक :

- अस्थाई सरकारी सेवकों के अवकाश खातों में निजी कार्य पर अवकाश किसी अवसर पर 60 दिन से अधिक जमा नहीं होगा।
- अवकाश लेख में 60 दिन का अवकाश जमा हो जाने पर अवकाश जमा करना बन्द कर दिया जाता है। अवकाश लेने के कारण अवशंक 60 दिन से कम हो जाने पर अवकाश जमा होना पुनः प्रारम्भ हो जाता है, जो पुनः 60 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहता है।
- अस्थाई सेवकों को निजी कार्य पर अवकाश तब तक स्वीकार्य नहीं होता है जब तक कि उनके द्वारा दो वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी न कर ली गयी हो।
- सम्पूर्ण अस्थाई सेवागत में कुल मिलाएर 120 दिन तक का अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
- अवकाश स्वीकृति आदेश में अतिशेष अवकाश इंगित किया जायेगा।

वित्तीय हस्त पुरितका खण्ड दो भाग 2 से 4 के सहायक नियम 157-क(3)

अवकाश लेखा :-

- अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में सरकारी सेवकों की अवकाश लेखे प्रपत्र -11-ड में रखे जायेंगे।

वित्तीय हस्त पुरितका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम -81 ख (3)(दस)

अवकाश वेतन

- निजी कार्य पर अवकाश काल में यह अवकाश वेतन मिलता है जो अर्जित अवकाश के लिये अनुमन्य होने वाले अवकाश वेतन की धनराशि के आधे के बराबर हो।

वित्तीय हस्त पुरितका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 87 क(3) तथा सहायक नियम 157 क (6) (ग)

- अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र पर अवकाश या अवकाश के प्रसार के लिए दिये गये आवदेन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र पर किसी सरकारी चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए

सहायक नियम 95

आवेदक के हस्ताक्षर.....

गैं श्री..... के मागले की सावधानी से व्यक्तिगत परीक्षा करने पर प्रमाणित करता हूँ की श्री..... जिनके हस्ताक्षर कापर दिये हुए हैं..... से पीड़ित हैं। रोग के इस समय बर्तगान लक्षण हैं.....। मेरी राय में रोग का कारण..... है।

आप की तिथि तक मैंने रोग की अवधि..... दिनों की है। जैसा कि श्री..... से पूछने पर जान हुआ रोग का पूर्ण विवरण भेजा गया है। मैं समझता हूँ कि पूर्णरूप से स्वास्थ्य अपने हुए दिनांक..... से दिनांक..... तक की अवधि के लिए इनकी ड्यूटी से अनुपरिश्ठति निरान्त आवश्यक है।

चिकित्साधिकारी

- श्रेणी घ के सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश या अवकाश के प्रसार के लिए दिये गये आवदेन पत्र के समर्थन में अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी जिस प्रकार के प्रमाण पत्र को पर्याप्त समझें स्वीकार कर सकते हैं।

सहायक नियम 98

- उस सरकारी कर्मचारी से जिसने एशिया में चिकित्सकीय प्रमाण पत्र पर अवकाश लिया हो ड्यूटी पर लौटने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र पर स्वरूपा के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

सहायक नियम 43 क

इत्यहारा प्रमाणित किया जाता है कि हमने..... में..... विभाग के श्री..... की सावधानी से परेक्षा कर ली है और वह पता लगा है कि वह अब अपनी बीमारी से मुक्त हो गये हैं और सरकारी सेवा में दृश्यती पर जौटने गए थे।

हम..... में यह भी प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त निर्णय पर पहुँचने के पूर्व हमने..... मैंने मूल गोकेत्सवीय प्रमाण पत्र का तथा गामले के विवरण का अध्यवा अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा उनका प्रमाणित प्रतिलिपियों का जिसके आधार पर अवकाश स्वीकृत किया गया था निरीक्षण कर लिया है तथा अपने निर्णय पर पहुँचने के पूर्व इन पर विचार कर लिया है।

सहायक नियम-43क

- राजपत्रित अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश या उसके प्रसार के लिये सहायक नियम 89 में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। यदि संस्तुत अवकाश की अवधि तीन माह से अनधिक हो तथा प्राधिकृत चिकित्साधिकारी यह उसका अवकाश करने के लिए तीन माह में प्रार्थी को चिकित्सा परिषद की समक्ष उपरिश्त होने की आवश्यकता नहीं है।
- जब प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में सरकारी सेवक के चिकित्सा परिषद के समक्ष उपर्युक्त होने की संस्तुति की जाए अथवा संस्तुत अवकाश की अवधि तीन माह से अधिक हो या 3 माह या उससे कम अवकाश को 3 माह से आगे बढ़ाया जाये तो संबंधित राजपत्रित सरकारी सेवक को उपरोक्त गोपीनाथ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये उपरिश्त होना चाहिए।

सहायक नियम 89 तथा 90

- सहायक नियम 91 के नीचे चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय उल्लेख कर दिया जाना चाहिए कि संबंधित अधिकारी को ड्यूटी पर लौटने के लिये वांछित स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए पुनः परिषद के समक्ष उपरिश्त होना है या वह उस प्रमाण-पत्र को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर सकता है।

रक्षाकृता प्राधिकारी

असाधारण अवकाश
(वित्तीय हस्त पुरिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के अध्याय-10)

आहता :-

- यह अवका त रथायी व अरथाई दोनों सरकारी सेवकों को देय है।
- जब अवकाश नियमों के अधीन कोई अन्य अवकाश देय न हो
- अन्य अवकाश देय होने पर भी संबंधित सरकारी सेवक असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिये आवदेन करें।
- यह अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है।

मूल नियम 85

अधिकतम अवकाश अवधि :-

रथायी सरकारी रोपक :

- रथायी सरकारी रोपक को असाधारण अवकाश किसी एक समय में मूल नियम 18 के उपचार्धों के अधीन अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि तक के लिये रवीकृत किया जा सकता है।
- किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के क्रम में रवीकृत किया जा सकता है।

मूल नियम 81 - ख (6)

अरथायी सरकारी सेवक :

अरथायी सरकार सेवक को देय असाधारण अवकाश की अवधि किसी एक समय में निम्नलिखित सीमाओं से अधिक न होती:-

- तीन मास
- छः मास-यदि संबंधित सरकारी सेवक ने 3 वर्ष यी निरन्तर सेवा अवकाश अवधि सहित पूरी कर ली हो तथा अवकाश के समर्थन में नियमों के अधीन आपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो।
- बाटारह मास-यदि संबंधित सरकारी सेवक ने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, और वह क्षय रोग अथवा कुप्त रोग का रोगार कर रहा हो।
- बीतारा मास-राम्पूर्ण अरथायी नहीं वी अवधि में 36 मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जनहित में अध्ययन करने के लिये इस प्रतिवेद्य के अधीन कि संबंधित सेवक ने 3 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो।

सहायक नियम- 157 क(4)

अवकाश वेतन :-

- असाधारण अवकाश की अवधि के लिये कोई अवकाश वेतन देय नहीं है।

मूल नियम 85,87(क)(4) एवं सहायक नियम 157क(6)(ग)

रवीकृता प्राधिकारी

- यह अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका कर्तव्य उस पद को, यदि वह रिक्त हो, भरने का होता है।

अध्ययन अवकाश
(वित्तीय हरा पुरितका खण्ड दो भाग 2 से 4 के अध्याय—10)

अहंता :-

- जन सारस्य तथा चिकित्सा, अन्वे ।।।, पशुपालन, कृषि, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण तथा वन विभागों में कार्यरत रथायी सरकारी सेवकों को जनहित में किन्हों वैज्ञानिक, प्राविधिक अथवा इसी प्रकार की समस्याओं के अध्ययन या विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
- यह अवकाश भारत में अथवा भारत के बाहर अध्ययन करने के लिये स्वीकृत किया जा सकता है। जिन सरकारी सेवकों ने 5 वर्ष से कम सेवा की हो अथवा जिन्हें सेवा निवृत्ति होने का विकल्प तीन या उससे कम समय में अनुगम्य हो, उनको अध्ययन अवकाश साधारणतया प्रदान नहीं किया जाता है।
- असाधारण अवकाश या यिकित्सा प्रगाण पर अवकाश को छोड़कर अन्य प्रकार के अवकाश को अध्ययन अवकाश के राथ मिलाये जाने की दशा में राकल अवकाश अवधि के परिणाम स्वरूप संवंधित सरकारी सेवक की आगामी नियमित लग्जी से अनुपस्थिति 28 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एक बार में 12 माह के अवकाश को साधारणतया नियत अधिकात्म सीमा माना जाना चाहिए तथा केवल साधारण बगरणों को छोड़कर इससे अधिक अवकाश किसी एक समय में नहीं दिया जाना चाहिए।
- सम्पूर्ण सेवा अवधि में कुल मिलाकर 2 वर्ष तक का अध्ययन अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

अवकाश वेतन

अध्ययन अवकाश काल में अद्वृ वेतन ग्राह्य होता है।

मूल नियम 84 तथा सहायक नियम 146—क

रचीकृता प्राधिकारी :-

- यह अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका वर्तव्य उस पद को, यदि तह रिया हा, भरने का होता है।

लघुकृत अवकाश
(वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के अध्याय—10)

अहता

- लघुकृत अवकाश अलग से कोई अवकाश नहीं है। मूल नियम 84 के अधीन उच्चातर वैज्ञानिक या प्राधिक अहताएँ प्राप्त करने के लिए आध्ययन अवकाश पर जाने वाले स्थायी सरकारी सेवकों के लिए पर उनकी निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत किये जाने योग्य जमा कुल अवकाश का आधा अवकाश लघुकृत अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।
- जितनी अवधि के लिये लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है उसकी दुगुनी अवधि उसके निजी कार्य पर अवकाश खाते में जमा अवकाश में से घटा दी जाती है।
- किरी एक बार स्वीकृत किये जाने योग्य अवकाश की अधिकतम अवधि निजी कार्य पर अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित अधिकतम अवकाश के आधे के बराबर है।
- यह अवका । तभी स्वीकृत किया जायेगा जब स्वीकर्ता अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि अवका । समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी सेवा में वापस आयेगा।
- यह अवका । एि तथा में 45 दिन तथा एि तथा से बाहर 90 दिन तक एक बार में स्वीकृत किया जा सकेगा।

मूल नियम 81-ख(4)

अवकाश वेतन :—

- अहत अवका । की तरह अवका । पर जान से ठीक पहले प्राप्त वेतन अवका । वेतन के रूप में अनुमन्य है।

मूल नियम 87-क(4)

स्वीकृता प्राधिकारी :—

- यह अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका कर्तव्य उस पद को, यदि वह रिक्त हो, भरने का होता है।